परियोजना प्रबंधन एजेंसी की नियुक्ति के लिए एसबीडी की मुख्य विशेषताएं और मार्गदर्शन संबंधी टिप्पणियाँ

1. परामर्शदाता की सेवाओं का दायरा पीएमए के कार्यों को पूरा करने के लिए डिस्कॉम को सहयोग और सहायता देने के लिए डिस्कॉम द्वारा चिह्नित प्रमुख विशेषज्ञों और गैर-प्रमुख विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करना है। पीएमए के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

   क) विद्युत मंत्रालय/नोडल एजेंसी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले योजना दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार और डिस्कॉम द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले डेटा/इनपुट के आधार पर कार्य योजना और डीपीआर तैयार करना;

   ख) निम्न के लिए सहायता और सहयोग प्रदान करना

      क. बोली(बोलियां) प्रक्रिया प्रबंधन
      ख. परियोजना प्रबंधन
      ग. योजना के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित कार्य
      घ. समय-समय पर सौंपे गए परियोजना से संबंधित कोई अन्य कार्य।

2. कार्य योजना और डीपीआर तैयार करना वैकल्पिक है और डिस्कॉम दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार मौजूदा पीएमए को शामिल करें।

3. कॉन्ट्रेक्टर के बिलों का प्रमाणीकरण (जेएमसी) को पीएमए के दायरे से बाहर रखा गया है।

4. मैटेरियल निरीक्षण को पीएमए के दायरे से बाहर रखा जाएगा क्योंकि इसके लिए विशेष जनशक्ति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, निरीक्षण कॉल पूर्वानुमानित नहीं हैं और इसलिए पीएमए के लिए कम समय में और विभिन्न स्थानों पर कुशल जनशक्ति जुटाना मुश्किल हो सकता है। तदनुसार, यह सलाह दी जाती है कि मैटेरियल निरीक्षण डिस्कॉम द्वारा स्वयं करें और यदि आवश्यक हो तो अलग एजेंसी नियुक्त की जाए।

5. बिलिंग सॉफ्टवेयर/ईआरपी से संबंधित कार्यों को लागू करने वाली डिस्कॉम अलग पीएमए को नियुक्त करें क्योंकि इसके लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होगी।

6. हालाँकि, भारत सरकार के अनुदान से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला कुल पीएमए शुल्क स्मार्ट मीटरिंग के लिए जीबीएस का केवल 2.5% और बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए परियोजना लागत का 1.5% होगा (विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा किया जाएगा।)

7. **कॉन्ट्रैक्ट की संरचना**
   क. यह एक समय-आधारित कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डिस्कॉम मुख्यालय में तैनात किए जाने वाले प्रमुख विशेषज्ञों की निर्दिष्ट संख्या और परियोजना स्थलों पर तैनात किए जाने वाले फ़ील्ड-इंजीनियरों/पर्यवेक्षकों (गैर प्रमुख विशेषज्ञ) की निर्दिष्ट संख्या शामिल है।
   ख. मानक दस्तावेज़ वितरण, स्मार्ट मीटरिंग, सामग्री गुणवत्ता विशेषज्ञ, एससीएडीए/डीएमएस, एमआईएस/आईटी, वित्त के क्षेत्रों में एक टीम लीडर और 6 प्रमुख विशेषज्ञों को निर्धारित करता है। हालाँकि, प्रमुख विशेषज्ञों और फील्ड इंजीनियरों/पर्यवेक्षकों की संख्या डिस्कॉम द्वारा

आवश्यकता के अनुसार तय की जानी है।

ग. यह सलाह दी जाती है कि कार्यों की निगरानी के लिए प्रत्येक विभाग में एक फील्ड-इंजीनियर/पर्यवेक्षक को तैनात किया जाए।

घ. प्रमुख विशेषज्ञों और फील्ड इंजीनियरों/पर्यवेक्षकों की अनुमानित संख्या संदर्भ की शर्तों के खंड 6 में प्रदान की जानी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यक्ति-महीनों की कुल संख्या में विशेषज्ञों की आवश्यकता सांकेतिक है। तैनाती आवश्यकता के अनुरूप होगी। सभी विशेषज्ञों को एक ही समय में तैनात नहीं किया जा सकता है और आवश्यकताओं के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान संख्या बदल सकती है।

ङ. तदनुसार, बोली में प्रत्येक प्रमुख विशेषज्ञ और गैर प्रमुख विशेषज्ञ के लिए मानव-माह दरों को उद्धृत करने की मांग की जाएगी और मानव-माह दरों से गुणा किए गए वास्तविक संसाधनों के आधार पर पीएमए को भुगतान किया जाएगा।

च. पीएमए को संपूर्ण परियोजना अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। एसबीडी परियोजना के पूरा होने तक वार्षिक विस्तार के प्रावधान के साथ 48 महीने के लिए प्रारंभिक नियुक्ति निर्धारित करता है।

छ. बोली में उद्धृत मानव-माह दरों को एसबीडी में निर्धारित अनुसार सीएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सीपीआई (यूएनएमई) से जुड़ी दरों पर सालाना बढ़ाया जाएगा। यह विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के लिए भी लागू होगी।

8. पीएमए की नियुक्ति के लिए मूल्यांकन क्यूसीबीएस आधार पर (70%-तकनीकी और 30%-वित्तीय) होगा। खोली जाने वाली वित्तीय बोली के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन में न्यूनतम स्कोर 70 है।

9. डिस्कॉम चालान जारी करने के 30 दिनों के भीतर परामर्शदाता को भुगतान करेगा। भुगतान भारत सरकार से धन की प्राप्ति से जुड़ा नहीं होगा।

10. विशेषज्ञों (मुख्य और गैर-प्रमुख विशेषज्ञ दोनों) के लिए मानव-माह दर में तैनाती के मुख्यालय के भीतर सभी शुल्क और परिवहन शुल्क शामिल हैं। हालाँकि, बाहरी दौरों के लिए, टीए/डीए का भुगतान डिस्कॉम द्वारा किया जाएगा। टीए/डीए दरों को विशेषज्ञ के अनुभव के अनुसार और डिस्कॉम नीति के अनुरूप/श्रेणी-I अधिकारी के समकक्ष परिभाषित किया जा सकता है। निगरानी उद्देश्यों के लिए अपने क्षेत्र/विभाग के भीतर यात्रा के लिए गैर प्रमुख विशेषज्ञों को परिवहन के लिए अपने साधन की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। मानव माह दरें तदनुसार उद्धृत की जाए।

11. एसबीडी में 100% तक जनशक्ति में बदलाव की अनुमति है।

12. डिस्कॉम को सलाह दी जाती है कि वह दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़ें और रिक्त और/या हाइलाइट किए गए हिस्सों में डिस्कॉम विशिष्ट और आरएफपी विशिष्ट विवरण भरें।

13. चूंकि प्रमुख विशेषज्ञों की संख्या और विशेषज्ञता डिस्कॉम द्वारा निर्दिष्ट की जानी है, इसलिए डिस्कॉम प्रत्येक प्रमुख विशेषज्ञ के तकनीकी स्कोर को उचित महत्व दे सकता है। हालाँकि, विशेषज्ञों के लिए कुल अंक 55 ही रहेंगे।

14. पीएमए के लिए मार्गदर्शन संबंधी टिप्पणियाँ और एसबीडी का पालन किया जाना है। हालाँकि, किसी भी विरोधाभास की स्थिति में पत्र 29.07.2021 द्वारा जारी संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के प्रावधान लागू होंगे।

15. प्रमुख और गैर-प्रमुख विशेषज्ञों की संख्या को छोड़कर, पीएमए के लिए एसबीडी में कोई अन्य प्रावधान नोडल एजेंसी की मंजूरी के बिना डिस्कॉम द्वारा संशोधित नहीं किया जाएगा।